164

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0–7(ए)/नामांकन–14–01/09 226(7A) /स्वा0/राँची/दिनांक– 10.06.2011

प्रेषक,

एo केo सरकार
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

विषय–शैक्षणिक सत्र 2011–12 हेतु राज्यान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों मे स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक विभाग एवं विधि विभाग का अनुशंसा यह है कि प्रशासी विभाग इस हेतु स्वंय सक्षम है । इसके आलोक में विभाग द्वारा स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निम्न निर्णय लिए गए हैं:–

रिम्स राँची/एम0जी0एम0, जमशेदपुर में एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यकम के लिए 56 सीटे एवं डिप्लोमा पाठ्यकम के लिए 37 सीटें उपलब्ध हैं।

1. सामान्य मेघा सूची में सभी वर्गो के उतीर्ण अभ्यार्थी रहेंगें जिन्हें अनारक्षित सीटों पर रोस्टर के अनुरूप कांउन्सिलिंग में बुलाया जायगा। इन अभ्यार्थीयों से मेरिट के अनुरूप विकल्प के अनुसार सीटें आवंटित की जायगी। यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी सामान्य मेघासूची मे रहते हुए सीटें प्राप्त कर जाएगें तो वैसी स्थिति में उक्त अभ्यार्थी का नाम उनके कोटि के लिए तैयार मेघासूची से नाम हटा दिया जायगा। इस प्रकार उनके आरक्षण कोटि के रोस्टर विंदु पर उनके बाद की संख्या पर अंकित अभ्यार्थी कांउन्सिलिंग में आएगा। यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी का काउंन्सिलिग के दौरान उनके अपने संवर्ग के सीट के लिए कॉल कर उनके विकल्प के अनुसार सीट प्राप्त हो चुका हो इसके बाद सामान्य मेघासूची के आधार पर उनका नाम कॉल नहीं किया जाना हैं।

2. सभी राज्य कोटा की उपलब्ध सीटों पर एक ही बार में प्रथम कांउसिलिंग आयोजित किया जायगा। कांउसिलिंग के उपरांत सीटें आवंटित करने के पश्चात झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची द्वारा फलाफल से विभाग को अवगत कराया जायगा।

3. 5 वर्गो मे मेघासूची बनायी जायः–

(क) सामान्य

(ख) अनुसूचित जन जाति

(ग) अनुसूचित जाति

(घ) अत्यंत पिछडा वर्ग– 1

(ड0) पिछडा वर्ग– 2

आरक्षित कोटि के जो भी अभ्यार्थी अपने मेघा अनुसार सामान्य कोटि में आएगें उन्हें सामान्य कोटि मे रखा जाय। परन्तु अगर वे अपने आरक्षित मेघासूची में उपर रहते है तो प्राथमिकत्ता उस आरक्षणसूची को दी जाय।

4. कार्मिक विभाग के संकल्प सं0 1072 दिनांक 17.02.09 के परिशिष्ट 1 (अर्थात् 1–50) का अनुपालन किया जाय।

5. जो आरक्षित /अनारक्षित अभ्यार्थी परिशिष्ट के कमांक के हिसाब से आते है उन्हें अपने संवर्ग के मेघासूची के अनुसार इच्छित विभाग दिया जाय।

6. कांउसिंलिंग प्रकिया के दौरान पर्षद के अनुशंसा पर विभाग की ओर से एक पदाधिकारी को कांउसिलिंग अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

7. द्वितीय कांउसिलिंग मे भी उपरोक्त कंडिकाओं में दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन किया जायगा।

8. सीटों की विवरणी निम्नवत है:–

(क) चिकित्सा स्नात्तकोत्तर (डिग्री) पाठ्यकम में राज्य कोटा के अन्तर्गत विभागवार एवं संस्थावार सीटों की विवरणीः—

क0सं0	विभाग का नाम	रिम्स, राँची	एम0जी0एम0 मेडिकल कॉ0 जमशेदपुर	कुल सीटें
1.	एम0एस0 एनाटोमी	02	01	03
2.	एम0डी0 बायोकेमेस्ट्री	02	00	02
3.	एम0डी0फिजियोलॉजी	03	01	04
4.	एम0डी0 एफ0एम0टी0	01	00	01
5.	एम0डी0 माईकोबॉयलॉजी	03	00	03
6.	एम0डी0 पैथोलॉजी	05	00	05
7.	एम0डी0 फार्माकोलॉजी	04	00	04
8.	एम0डी0 एनेस्थेसियालॉजी	02	00	02
9.	एम0डी0 औषधि	07	00	07
10.	एम0डी0 शिशु रोग	03	00	03
11.	एम0डी0 चर्म रोग	01	00	01
12.	एम0डी0 रेडियोलॉजी	01	00	01
13.	एम0डी0 स्त्री एवं प्रसूति रोग	05	00	05
14.	एम0एस0 ई0एन0टी0	01	00	01
15.	एम0एस0 सर्जरी	08	00	08
16.	एम0एस0 आई	03	00	03
17.	एम0एस0 अर्थोपेडिक्स	02	00	02
18.	एम0सी0एच0(न्यूरो सर्जरी)	01	00	01
	कुल	54	02	56

(ख) डिप्लोमा कोर्स की सीटों की विवरणीः–

1.	डी0सी0पी0	06	00	06
2.	डी0ए0	01	00	01
3.	डी0सी0एच0	04	01	05
4.	डी0जी0ओ0	05	01	06
5.	डी0ओ0 (ऑफ्थ)	04	00	04
6.	डी0 आर्थो	02	00	02
7.	डी0एम0आर0डी0	02	01	03
8.	डी0ई0एन0टी0	01	00	01
9.	डी0भी0डी0एल0	03	00	03
10.	डी0टी0एम0एच0	06	00	06
	कुल	34	03	37

आरक्षण सह मेधा सह इच्छित विभाग के आधार पर चयन हेतु कार्रवाई किया जाना है जिसका रोस्टर बिन्दु निम्न प्रकार अधिक स्पष्ट किया जा रहा हैः–

(A) **1-** स्नातोकतर पाठ्यकम में राज्य कोटा के अन्तर्गत कुल –56 सीटों मे से अनारक्षित 28 सीटों पर सामान्य मेधा सूची (जिसमें सभी वर्गो के अभ्यर्थी होंगें) से रोस्टर बिन्दु 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53 एवं 55 पर अंकित सीट के लिए भरा जायेगा ।

2. स्नातकोतर एम0 डी0 /एम0 एस0 पाठ्यकम में राज कोटा के अन्तर्गत कुल–56 सीटों में से 14 सीटे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थीयों के लिए तैयार मेधा सूची से रोस्टर बिन्दु 2,8,10,14,18,22,26,30,34,38,42,44,50,52 पर अंकित सीट के लिए भरा जायेगा ।

3. स्नातकोतर एम0 डी0 /एम0 एस0 पाठ्यकम में राज कोटा के अन्तर्गत कुल–56 सीटों में से 06 सीटें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थीयों के लिए तैयार मेधा सूची से रोस्टर बिन्दु 06 ,16,24,36,46,56 पर अंकित सीट के लिए भरा जायेगा ।

4. स्नातकोतर एम0 डी0 /एम0 एस0 पाठ्यकम में राज कोटा के अन्तर्गत कुल–56 सीटों में से 05 सीटे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0– I) के लिए तैयार मेधा सूची से रोस्टर बिन्दु 04,20,32,48,54 पर अंकित सीट के लिए भरा जायेगा ।

5. स्नातकोतर एम0 डी0 /एम0 एस0 पाठ्यकम में राज कोटा के अन्तर्गत कुल–56 सीटों में से 03

सीटे पिछड़ा वर्ग (अनु0–।।) के लिए तैयार मेधा सूची से रोस्टर बिन्दु 12,28,40 पर अंकित सीट के लिए भरा जायेगा ।

(B) इसी तरह डिप्लोमा सीटों के लिए कोटिवार निम्नांकित रूप से सीटें भरी जायेगी:–

1. अनारक्षित सीटें (19) —— रोस्टर बिन्दु –1,3,5,7,9,11,13,15,1,7,1,9,21,23,,25,27,2,9,31,33,35,37 सीट पर अंकित सीट हेतु सामान्य मेधा सूची (सभी वर्ग के अभ्यर्थीयों का) से भरा जायेगा ।
2. अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें (09) — रोस्टर बिन्दु 2,8,10,14,18,22,26,30,34 पर अंकित सीट हेतु उनके लिए तैयार मेधा सूची से भरा जायेगा ।
3. अनुसूची जाति हेतु आरक्षित सीटें (04) — रोस्टर बिन्दु 6,16,24,36 पर अंकित सीट हेतु उनके लिए तैयार मेधा सूची से भरा जायेगा ।
4. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0–।) के लिए आरक्षित सीटें (3) — रोस्टर बिन्दु 4,20,32 पर अंकित सीट हेतु उनके लिए तैयार मेधा सूची से भरा जायेगा ।
5. पीछड़ा वर्ग (अनु0–।।) के लिए आरक्षित सीटें (02) —रोस्टर बिन्दु 12,28 पर अंकित सीट हेतु उनके लिए तैयार मेधा सूची से भरा जायेगा ।

तदनुसार नामांकन हेतु शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

10.6.11.

(ए0 के0 सरकार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव